न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 82/2020
ऑनलाईन नंबर 2020/00167

निर्णय दिनांक 14.11.2022

1. शिवरतन पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी जाखासर नया तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।
2. विजयपाल पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी जाखासर नया तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।
3. रामनिवास पुत्र जगदीश जाति निवासी जाखासर नया तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
4. हनुमानाराम पुत्र जगदीश जाति निवासी जाखासर नया तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

— वादीगण—

बनाम

1. जगदीश पुत्र श्रीराम जाति जाट निवासी जाखासर नया तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. संतोष पुत्री जगदीश पत्नी रेखाराम जाति जाट निवासी नोरंगदेसर तहसील व जिला बीकानेर।
3. केशर पुत्री जगदीश पत्नी रेखाराम जाति जाट जाखासर नया तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
4. शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक, शाखा श्रीडूंगरगढ़।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़।

—प्रतिवादीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री के.के. पुरोहित अभिभाषक वादीगण
2. श्री रामलाल नायक अभिभाषक प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3
3. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 3 ग्राम जाखासर नया के निवासी है। प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण के पिता है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 वादीगण की सगी बहिने हैं। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से संयुक्त खातेदारी खेत खसरा नंबर 502 तादादी 2.47 हैक्टेयर बारानी, वाके रोही ग्राम जाखासर, खसरा नंबर 832/86 तादादी 10.17 हैक्टेयर रोही ग्राम जाखासर, खेत खसरा नंबर 405 तादादी 15.82 हैक्टेयर रोही ग्राम जाखासर, खेत खसरा नंबर 39 तादादी 11.22 हैक्टेयर रोही जाखासर भोमउदयकरणावतान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित है, खसरा नंबर 502 रोही जाखासर, खसरा नंबर 832/86 रोही जाखासर, खसरा नंबर 39 रोही जाखासर भोमउदयकरणावतान में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा है। तथा खेत खसरा नंबर 405 रोही जाखासर में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/15 हिस्सा है। उपर्युक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को उनके पिता श्रीराम पुत्र गुलाराम से विरासतन प्राप्त हुई है। उपर्युक्त कृषि भूमि में वादीगण के पूर्वज श्रीराम पुत्र गुलाराम की होने से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 श्रीराम के सहदायिक है तथा जन्म से ही उपर्युक्त कृषि भूमि में वादीगण का हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ने अपना हिस्सा वादीगण के पक्ष में छोड़ दिया है। वादगत कृषि भूमि खेत खसरा नंबर 502 तादादी 2.47 हैक्टेयर बारानी, वाके रोही ग्राम जाखासर में वादीगण का 4/28 हिस्सा [illegible] 3/28 हिस्सा है, खेत खसरा नंबर 832/86 तादादी 10.17 हैक्टे[illegible]म जाखासर में वादीगण का 4/28 हिस्सा व प्रतिवादी [illegible] हिस्सा है, खेत खसरा नंबर 405 तादादी 15.82 हैक्टेयर [illegible] 4/105 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का 3/105 हिस्सा है, [illegible] खसरा नंबर 39 ताद[illegible] रोही जाखासर भोमउदयकरणावतान तह[illegible] श्रीडूंगरगढ़ जिला [illegible] वादीगण का कुल 4/28 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का 3/28 हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ने अपना हिस्सा वादीगण के पक्ष में छोड़ दिया है।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.11.28 14:53:56 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण का स्वयं के हिस्से की व प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 के हिस्से की कृषि भूमि पर कब्जा काश्त है। वादीगण अपने हिस्सा पांति में आई कृषि भूमि बाबत प्रतिवादी संख्या 5 से मिला तथा जमाबंदी में वादीगण का नाम दर्ज किये जाने का निवेदन दिनांक 25.11.2020 को निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 5 ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर हुए खाता विभाजन कर जमाबन्दी में नाम दर्ज करने से मना कर दिया। यही वाद हेतुक है। प्रतिवादी संख्या 4 से के.सी.सी. व कृषि ऋण प्रतिवादी संख्या 1 का लिया हुआ था। जमाबन्दी में प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष वादगत कृषि भूमि रहन है। इसलिए पक्षकार संयांजित किया गया है। वादीगण कृषि भूमि का लेण्ड होल्डर प्रतिवादी संख्या 5 है जिसे आवश्यक पक्षकार होने के कारण पक्षकार संयोजित किया गया है। प्रतिवादी संख्या 5 से किसी प्रकार का कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। दावा पूर्ण कोर्ट फीस व समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया गया है तथा वादगत कृषि भूमि श्रीडूंगरगढ़ तहसील में स्थित होने से माननीय न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। आवश्यक पक्षकार की हैसियत से प्रतिवादी संख्या 6 को पक्षकार बनाया गया है। कानूनी आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए स्टेट के विरूद्ध दावा करने से पूर्व धारा 80 (2) सी.पी.सी. की नोटिस की छूट न्यायालय श्रीमान्जी से प्राप्त कर दावा प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिक्री फरमाई जावें।

(क) कि इस आशय की डिक्री आज्ञाप्त कर घोषणा की जावे कि वादगत खेत खसरा नंबर 502 तादादी 2.47 हैक्टेयर बारानी, वाके रोही ग्राम जाखासर में वादीगण का 6/28 हिस्सा, खेत खसरा नंबर 832/86 तादादी 10.17 हैक्टेयर रोही ग्राम जाखासर में वादीगण का 6/28, खेत खसरा नंबर 405 तादादी 15.82 हैक्टेयर रोही ग्राम जाखासर में वादीगण का 6/105 हिस्सा, खेत खसरा नंबर 39 तादादी 11.22 हैक्टेयर रोही जाखासर भोमउदयकरणावतान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में वादीगण का 6/28 ब.हि.ब. खातेदारी अधिकारों की घोषणा की जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें।

वादीगण के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 जरिये अधिक्ता उपस्थित होकर जवाब दावा पेश किया गया। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में वादीगण एवं प्रतिवादीगण को जरिये राजीनामा वाद को स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व वादीगण वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नंबर 502 तादादी 2.47 हैक्टेयर बारानी, वाके रोही ग्राम जाखासर में वादीगण का 6/28 हिस्सा, खेत खसरा नंबर 832/86 तादादी 10.17 हैक्टेयर रोही ग्राम जाखासर में वादीगण का 6/28, खेत खसरा नंबर 405 तादादी 15.82 हैक्टेयर रोही ग्राम जाखासर में वादीगण का 6/105 हिस्सा, खेत खसरा नंबर 39 तादादी 11.22 हैक्टेयर रोही जाखासर भोमउदयकरणावतान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में वादीगण को 6/28 ब.हि.ब. खातेदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ने अपना हिस्सा वादीगण के पक्ष में छोड दिया है। अतः तहसीलदार नियमानुसार परित्याग पत्र पर स्टाम्प ड्यूटी वसूल करने एवं रहनमुक्त होने के पश्चात् ही निर्णय की पालना सुनिश्चित [illegible] जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2022 को मेरे द्वारा [illegible] जाकर शामिल पत्रावली होकर दाखिल दफ्तर किया गया। पत्रावली बाद निर्णय [illegible] रजिस्टर [illegible] हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.11.28 14:53:56 IST
Reason: SelfAttested

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)
श्रीडूंगरगढ

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी * श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

अन्तिम डिकी मुकदमें इन्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ

पीठासीन अधिकारी दिव्या आरएएस

उनवान

1. शिवरतन पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी जाखासर नया तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. विजयपाल पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी जाखासर नया तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
3. रामनिवास पुत्र जगदीश जाति निवासी जाखासर नया तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
4. हनुमानाराम पुत्र जगदीश जाति निवासी जाखासर नया तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

बनाम

1. जगदीश पुत्र श्रीराम जाति जाट निवासी जाखासर नया तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. संतोष पुत्री जगदीश पत्नी रेखाराम जाति जाट निवासी नोरंगदेसर तहसील व जिला बीकानेर।
3. केशर पुत्री जगदीश पत्नी रेखाराम जाति जाट जाखासर नया तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
4. शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक, शाखा श्रीडूंगरगढ़।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़।

मुकदमा नम्बर 82/2022 निर्णय दिनांक 14.11.2022

दावा बाबत घोष्णात्मक

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी श्री के.के.पुरोहित अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व प्रतिवादीगण की ओर से श्री रामलाल नायक मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसरा नंबर 502 तादादी 2.47 हैक्टेयर बारानी, वाके रोही ग्राम जाखासर में वादीगण का 6/28 हिस्सा, खेत खसरा नंबर 832/86 तादादी 10.17 हैक्टेयर रोही ग्राम जाखासर में वादीगण का 6/28, खेत खसरा नंबर 405 तादादी 15.82 हैक्टेयर रोही ग्राम जाखासर में वादीगण का 6/105 हिस्सा, खेत खसरा नंबर 39 तादादी 11.22 हैक्टेयर रोही जाखासर भोमउदयकरणावतान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में वादीगण को 6/28 ब.हि.ब. खातेदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ने अपना हिस्सा वादीगण के पक्ष में छोड दिया है। अतः तहसीलदार नियमानुसार परित्याग पत्र पर स्टाम्प डयूटी वसूल करने एवं रहनमुक्त होने के पश्चात् ही निर्णय की पालना सुनिश्चित करें।
तहसीलदार, श्री डूँगरगढ तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0.. फीसदी सालाना आज को जारी.........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक २२ माह ११ सन् 2022 को जारी किया गया ।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	100	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदे[illegible] की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमि[illegible] फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	[illegible]		
योग	100	योग	0

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.11.28 14:53:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्री डूंगरगढ़ (बीकानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)
सत्यमेव जयते